संख्या-80 /2025/2857(1)/41-2-2025-CN-2007707

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 24 फरवरी, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके लम्बित देयकों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-395863/3-लेखा/पुनर्विनियोग/2025, दिनांक 29.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं० 44 लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लगभग 200.00 लाख की बचत संभावित है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं० 44 लेखाशीर्ष ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों क्रमश: **46-कम्प्यूटर** हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में 15.00 लाख, **13-टेलीफोन** पर व्यय रू0 1.00 लाख, 1**6-व्यावसायिक** तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 4.00 लाख, **09-विद्युत** देय में रू0 8.00 लाख एवं **15-गाडियों** का अनुरक्षण एवं पेटोल मद में रू0 32.00 लाख अर्थात कुल रू0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं० 44 लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लगभग 200.00 लाख की बचत संभावित है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं० 44 लेखाशीर्ष ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों क्रमश: **46-कम्प्यूटर** हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में 10.00 लाख, **13-टेलीफोन** पर व्यय रू0 1.00 लाख, **16-व्यावसायिक** तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 4.00 लाख, **09-विद्युत** देय में रू0 8.00 लाख एवं **15-गाडियों** का अनुरक्षण एवं पेटोल मद में रू0 15.00 लाख अर्थात कुल रू0 **38.00** लाख (रूपये अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न **बी0एम0-9** आदेश सं0 2857/41-2-2025-CN- 2007707/2025, दिनांक: 24 फरवरी, 2026 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रू0 38.00 लाख (रू0 अड़तीस लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31.03.2026 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452801040300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**09** विद्युत देय	**8,00,000** **(** रुपये आठ लाख मात्र **)**
2	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**13** टेलीफोन पर व्यय	**1,00,000** **(** रुपये एक लाख मात्र **)**
3	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**15** गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**15,00,000** **(** रुपये पन्द्रह लाख मात्र **)**
4	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**16** व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**4,00,000** **(** रुपये चार लाख मात्र **)**
5	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**46** कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**10,00,000** **(** रुपये दस लाख मात्र **)**
	कुल			**38,00,000** **(रुपये अड़तीस लाख मात्र)**

महायोग	**38,00,000** **(** रुपये अड़तीस लाख मात्र **)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**6/2025/**बी-**1-352/**दस-**2025-231/2025,** दिनाँक- **27-**मार्च**, 2025** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20252026-41-2-2025-CN-2007707

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	01 (वेतन)	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड़ मात्र	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	38,00,000 रुपये अड़तीस लाख मात्र	12,62,00,000 रुपये बारह करोड़ बासठ लाख मात्र	2025-2026
कुल					**₹ 60,00,000**	**₹ 38,00,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

""

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2025-2026
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		लिए भुगतान)					
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	32,00,000 रुपये बत्तीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	2025-2026
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2025-2026
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र	2025-2026
कुल				**₹ 60,00,000**	**₹ 38,00,000**		

नोट-1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं० 44 लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन मद में प्राविधानित के सापेक्ष लगभग 200.00 लाख की बचत संभावित है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

3- वित्तीय वर्ष 2025-26 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आंकलित है।

संख्या:RE-budget-1-356-E-7-187-X-2025-26-दिनांक: 23-02-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव,

संख्या-2857/41-2-2025-CN- 2007707/2025, दिनांक: 24 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (का0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।